प्ररूप – ख

(देखिये नियम 9 (3), (4) और (6)

कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी विराटनगर)

संख्या : राजस्व / 2016 / दिनांक : ....

संशोधित संपरिवर्तन आदेश

स्वामी गंगा दास शिक्षा समिति, बलेसर जरिए सचिव माया देवी शर्मा पत्नि नरेश कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बलेसर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर के आवेदन पत्र पर उसकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 झ के अधीन संस्थानिक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।

1. आवेदक खातेदार का नाम पिता / पति के नाम सहित पूरा पता	स्वामी गंगा दास शिक्षा समिति, बलेसर जरिए सचिव माया देवी शर्मा पत्नि नरेश कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बलेसर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	.........नहीं,
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :–	
अ. ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	खेडा / नवरंगपुरा तहसील विराटनगर
ब. भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	1958/0.15 हैक्टेयर मेसे 500 वर्गमीटर
स. प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर)	1958/0.15 हैक्टेयर मेसे 500 वर्गमीटर
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)
5. संदेय प्रीमियम की दर	DLC के 10 % के आधार पर 10 /- रूपये प्रतिवर्गमीटर
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	**GRN :- 0013365142 Date : - 07.10.2016** **Rs. :- 5,932/-** **GRN:- 0013383897 Date :- 10.10.2016** **Rs. :- 6,068 /- Total : - Rs. :- 12000 /-**
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम	.... नहीं ....
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम	.... नहीं ....

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा :—

- उपर्युक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के अन्दर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धन राशि समपृहत हो जायेगी।
- राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सडक मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सडक के मध्य से छोडी गई भूमि निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडकों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक : प.–6 (6) राज–6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.06.2009 की पालना सुनिश्चित की जाये।
- आवेदित भूमि मे से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी मे तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधी मे कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

विहित प्राधिकारी की मोहर

उपखण्ड अधिकारी

Sd.
उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर

संख्या : राजस्व/2016/ 106-110 दिनांक : 18/10/16

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार विराटनगर को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
3. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील विराटनगर।
4. पटवारी हल्का नवरंगपुरा को आदेश के पालनार्थ।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत नवरंगपुरा
6. आवेदक स्वामी गंगा दास शिक्षा समिति, बलेसर जरिए सचिव माया देवी शर्मा पत्नि नरेश कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बलेसर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
7. कार्यालय प्रति।

18.10

उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर

प्ररूप – ख

(देखिये नियम 9 (3), (4) और (6)

कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी विराटनगर)

संख्या : राजस्व / 2015 / 548553 दिनांक : 22-5-1

संपरिवर्तन आदेश

स्वामी गंगादास शिक्षा समिति बलेसर जरिए सचिव नरेश कुमार शर्मा पुत्र कल्याण सहाय शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बलेसर तहसील विराटनगर जिला जयपुर के आवेदन पत्र पर उसकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 इ के अधीन शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।

1. आवेदक खातेदार का नाम पिता / पति के नाम सहित पूरा पता	स्वामी गंगादास शिक्षा समिति बलेसर जरिए सचिव नरेश कुमार शर्मा पुत्र कल्याण सहाय शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बलेसर तहसील विराटनगर जिला जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	.........नहीं.........
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :–	
अ. ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	खेडा / नवरंगपुरा, तहसील विराटनगर
ब. भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	1960/0.29 हैक्टेयर
स. प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर)	1960/0.29 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर	10 / –रूपये प्रति वर्गमीटर.......
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	(शास्ति 53382+29656) चालान संख्या 35 दिनांक 22.05.2015 राशि 83038 / –रूपये
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम	....
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम	.... नहीं ....
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम–13 के अधीन जारी किया गया है।	....................नहीं,....................
10. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो।	नहीं

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा :–

- उपर्युक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के अन्दर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धन राशि समपृहत हो जायेगी।
- नियम–4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सडक मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सडक के मध्य से छोडी गई भूमि निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडकों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- उक्त संपरिवर्तित भूमि पर कृषि प्रसंस्करण और कृषि कारोबार इकाई प्रयोजन से भिन्न किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
- राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक : प.–6 (6) राज–6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.06.2009 की पालना सुनिश्चित की जाये।
- आवेदित भूमि मे से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी मे तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधी मे कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- आवेदक को योजना का विकास अनुमोदित ले–आउट प्लान अनुसार ही करना होगा। पार्क सडक की भूमि का अनुपात 40% व विक्रित क्षेत्रफल 60% होगा।

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

विहित प्राधिकारी की मोहर

Sd/
विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर

संख्या : राजस्व/2015/ 548-553

दिनांक : 22-5-15

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील विराटनगर।
3. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील विराटनगर।
4. पटवारी हल्का नवरंगपुरा को आदेश के पालनार्थ।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत नवरंगपुरा
6. आवेदक स्वामी गंगादास शिक्षा समिति बलेसर जरिए सचिव नरेश कुमार शर्मा पुत्र कल्याण सहाय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बलेसर तहसील विराटनगर जिला जयपुर

22.5

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर
विराटनगर (जयपुर)